


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/सी-7/हिन्दी/स्थानान्तरण/2019 दिनांक-29.09.2019 के तहत श्री धनश्याम कुमावत, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, सांवली-दूदू, जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि, टीकरी-कठुम्बर, अलवर किया गया। श्री धनश्याम कुमावत ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या-3476/2019 श्री धनश्याम कुमावत बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या-3476/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक-02.12.19 में आदेशित किया है कि यदि अपीलार्थी ने नवीन पद पर कार्यग्रहण नहीं किया है तो आलोच्य आदेश दिनांक-29.09.19 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के संबंध में स्थगित रखा जावे एवं अतिरिक्त यह आदेश भी दिया है कि यदि सक्षम अधिकारी ये आदेश जारी कर देता है कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश से स्थानान्तरण पर नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा तो उक्त स्थगन आदेश स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।

श्री धनश्याम कुमावत व्याख्याता (हिन्दी) द्वारा दिनांक-12.12.19 को स्थानान्तरित स्थान राउमावि, टीकरी-कठुम्बर, अलवर में कार्यग्रहण किया जा चुका है। अतः माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के निर्णय दिनांक-02.12.19 की पालना में अपीलार्थी श्री धनश्याम कुमावत को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/ हिन्दी/ स्थानान्तरण/2019 दिनांक-20.12.2019 द्वारा उक्त पदस्थापन पर यात्रा भत्ता एवं योगकाल प्रदान कर दिया गया है। अतः एतद्वारा अभ्यावेदन खारिज कर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।



(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्था.को.के./धनश्याम कुमावत/4006/2019 दिनांक- 20/12.2019

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, अलवर
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।



संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)

कार्यालय- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश समसंख्यक आदेश दिनांक-29.09.19 के क्र सं. 750 के द्वारा श्री धनश्याम कुमावत व्याख्याता हिन्दी का स्थानान्तरण राउमावि सांवली-दूदू-जयपुर से राउमावि टीकरी-कटूमबर - अलवर किया गया था ।

उक्त आदेश में श्री धनश्याम कुमावत को उक्त पदस्थापन पर यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा ।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक 20/12/19

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्थानान्तरण/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, परिषद मुख्यालय जयपुर
- 3 राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर
- 4 संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
- 5 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 6 सिस्टम एंनलिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबवाइंट पर अपलोड हेतु
- 7 संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
- 8 रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर